अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

A10
T

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 50 / 10

1. नसीबचन्द पुत्र श्री उमरा जाति मजबी निवासी बरूवाला तहसील रायसिंहनगर कुल गुद्दुवाला तहसील स्याहकोट, जिला जालन्धर (पंजाब)

अपीलार्थीगण

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।
2. कुलदीपसिंह पुत्र जीतसिंह
3. राजविन्द्रकौर पत्नी कुलदीपसिंह अकवाम मजबीसिख सकनाए बरूवाला तहसील रायसिंहनगर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश 18—01—10 तहसीलदार, रायसिंहनगर

उपस्थित : 1.श्री विक्रमयिंह बिश्नोई, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री अवनिन्द्रपालसिंह, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 2 व 3
3.श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं01

आदेश दिनांक : 03 —02—16

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 3 बी डब्ल्यू एम तह0 रायसिंहनगर का मु0 नं0 3 प. न0 278 / 336 में 3—164 है0 नहरी तथा मु0 नं0 20 प0 नं0 295 / 338 के 2—797 है0 नहरी कुल 5—961 है0 नहरी खातेदारी भूमि अपीलांट के सगे भाई शंकर पुत्र उमरा जाति मजबी निवासी बरूवाला के नाम थी। शंकर सौ वर्ष का वृद्व व्यक्ति था, उसके कोई औलाद नहीं थी। रेस्पो0 सं0 2 अपीलाधीन भूमि को हिस्से ठेके पर काश्त करता था। रेस्पो0 सं0 2 व 3 जो पति पत्नी हैं, ने फर्जी, कूटरचित वसीयत दिनांक 15—7—05 तैयार कर शंकर की मृत्यू के बाद रेस्पो0 सं0 1 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन भूमि का इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 18—1—10 प्राप्त कर लिया। शंकर को वसीयत करने की कोई समझ नहीं थी, उसे दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था तथा न ही उसने अपने जीवनकाल में अपनी भूमि किसी को जरिये वसीयत करने की कभी इच्छा जाहिर नहीं की। रेस्पो0 सं0 2 व 3 ना तो मृतक शंकर के खून के रिश्तेदार हैं तथा न ही बिरादरी के हैं एवं न ही अपीलांट का भाई शंकर रेस्पो0 सं0 2 व 3 के पास रहा है।शंकर के कोई औलाद नहीं थी। वह अक्सर अपीलांट के पास रहता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से पूर्व प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। सुनवाई का मौका नहीं दिया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय से रेकार्ड प्राप्त होने के बाद उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा है कि चक 3 बी डब्ल्यू एम तह0 रायसिंहनगर का मु0 नं0 3 प. न0

जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

278/336 में 3–164 है0 नहरी तथा मु0 नं0 20 प0 नं0 295/338 के 2–797 है0 नहरी कुल 5–961 है0 नहरी खातेदारी भूमि अपीलांट के सगे भाई शंकर पुत्र उमरा जाति मजबी निवासी बरूवाला के नाम थी। शंकर सौ वर्ष का वृद्व व्यक्ति था, उसके कोई औलाद नहीं थी। रेस्पो0 सं0 2 अपीलाधीन भूमि को हिस्से ठेके पर काश्त करता था। रेस्पो0 सं0 2 व 3 जो पति पत्नी हैं, ने फर्जी, कूटरचित वसीयत दिनांक 15–7–05 तैयार कर शंकर की मृत्यू के बाद रेस्पो0 सं0 1 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन भूमि का इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 18–1–10 प्राप्त कर लिया। शंकर के कोई औलाद नहीं थी। वह अक्सर अपीलांट के पास रहता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से पूर्व प्रकिया का पालन नहीं किया है। सुनवाई का मौका नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् कार्यवाही कर, पूर्ण रूप से प्रकिया का पालन करते हुए पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय में पंजीकृत वसीयत को निरस्त करने का वाद पत्र पेश किया गया था, जो मा0 न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। अतः अपील सारहीन है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है, इसमें हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है। अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलाधीन आदेश से संबंधित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि रेस्पो0 सं0 2 व 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17–8–09 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पंजीकृत वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर ली गई। संबंधित पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई। सार्वजनिक आपति का सूचना पत्र समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया गया। रेस्पो0 व गवाहान के शपथ पत्र प्राप्त किये गये। समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बाद समयावधि में आपति प्राप्त न होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–1–10 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया कि अपीलांट द्वारा पंजीकृत वसीयत को शून्य घोषित करने के लिए सिविल न्यायालय रायसिंहनगर में सिविल वाद सं0 15/10 दायर किया गया था, जिसके निर्णय दिनांक 15–4–15 द्वारा अपीलांट का वाद पत्र वसीयत को शून्य घोषित करने का खारिज कर दिया गया है। अपीलांट को सिविल न्यायालय द्वारा पंजीकृत वसीयत के विरूद्व अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर इंतकाल स्वीकृत करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 03–02–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/2/16

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)